

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

To,
Principal,

(156)

Affiliation Renewal
(2023-24)

Shaheed Bhagat Singh Govt. P.G. Mahavidhyalya,
Pipariya, Dist. Narmada Puram

विषय:- स्थाई/अस्थायी संबद्धता की निरंतरता सत्र 2023-24 प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25.04.2023 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.12.2023 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को विज्ञापनसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2023-24 हेतु स्थाई/अस्थायी संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SUBJECT	PERMANENT/ TEMPORARY TEMPORARY
1	BA III	FC, Sociology, PolSc, Eco, Hindi, Geog, Eng, History.	TEMPORARY
2	BSc III	FC Maths, Chem, Phy, Bot, Zoology, CompSc, BioTech	TEMPORARY
3	BCom III	All Compulsory Papers with CompAppl	TEMPORARY
4	MA F	PolSc, Economics, Hindi Litt.	TEMPORARY
5	MSc F	Botany, Zoology, Phy, Chem, Maths	TEMPORARY
6	MCom F		TEMPORARY
7	BCA III		TEMPORARY
8	BBA III		TEMPORARY

शर्त:-

1. प्रदत्त स्थाई/अस्थायी संबद्धता निरंतरता करने हेतु आगामी सत्र 2024-25 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक प्रस्तुत करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी शर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त अस्थायी संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी।
3. विश्वविद्यालय परिनियम 27 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 का पालन करना होगा।
4. दिना संबद्धता के किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा, अन्यथा संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन को होगी।
5. शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता/निरंतरता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 03.01.2024

ई.ड. 23 अका.संव. 24

निरंतरता:-

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग रायपुरा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संगम भोपाल।
- प्रभारी वि.वि. आई.टी. /वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उपकुलसचिव शोध/परीक्षा की ओर सूचनायें।
- कुलपति/कुलसचिव की के विजी सहायक के माध्यम से सूचनायें।

सहा.कुलसचिव, (अका)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कं. 400/अका./सं. 2023
प्रति,

भोपाल दिनांक 06.02.23

प्राचार्य/अध्यक्ष,
शहीद भगत सिंह शासकीय पी0जी0 कालेज
जिला नर्मदापुरम

अस्थाई संबंधता
सत्र 2022-23

विषय:- नवीन अस्थाई संबंधता (2022-23) प्रदान करने विषयक
महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कं 286/89/आउशि/यो दिनांक 31.03.2022 के आधार विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.02.2023 में की गई अनुशंसा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम - 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति जी को प्राप्त अधिकार अनुसार प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त आपके महावि0 को निम्नानुसार नवीन पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-23 हेतु (अस्थाई संबंधता) प्रदान की जाती है:-

Course/ Branch
1- M.A. - (P) - GEOGRAPHY , SOCIOLOGY (30 SEATS EACH)

शर्तें:-

- आगामी सत्र 2023-24 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संबंधता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय परिषद-27 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश कं.5,6,7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा। महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबंधता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबंधता मान्य योग्य नहीं होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबंधता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त संबंधता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- बिना संबंधता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महावि. प्रबंधन की होगी, किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्थाई संबंधता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव

पृ.कं. 400/अका./2023

भोपाल, दिनांक 06.02.23

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- अतिरिक्त, संचालक उच्च शिक्षा नर्मदा पुरम संभाग एमएलबी महावि.कैम्पस भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- उपकुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय को उचित कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- प्रभारी आई.टी.सेल.बरकतउल्ला वि0वि0भोपाल की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
- कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से कुलपति/कुलसचिव जी को सूचनार्थ।

सहा.कुलसचिव (अकादमी)



प्रति,

प्राचार्य

GOVT. LAW COLLEGE, PIPARIYA SHOBHAPUR
ROAD, PIPARIYA DISTT. HOSHANGABAD (M.P.) 461775

विषय:- अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2023-24

संदर्भ-1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली का पत्र कमांक डिएनक डिएनक

विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27.12.2022 में की गई अनुशंसा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कार्यपरिषद् की ओर से कुलपतिजी को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को विधि पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता की निरंतरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

क्र	विषय	आवृत्ति संख्या
1	LLB-I, II, III	80

शर्तें :-

- बी.सी.आई. के नियमानुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियमित नियुक्ति शीघ्र की जाए।
- पुस्तक से लायब्रेरी, लायब्रेरियन की नियुक्ति, पुस्तकों की सूची, ई जर्नल की सूची आनलाईन जर्नल की आदि।
- पुस्तक भवन, कक्षाएं, गूट कोर्ट इत्यादि की व्यवस्था शीघ्र की जाए। समिति की मुख्य अनुशंसाएं की पूर्ति अधिवार्य रूप से किया जाना है :-
- बी.सी.आई. नियम एवं लीगल एजुकेशन की अनुसूची III पार्ट 2 के अनुसार महाविद्यालय एवं कुलसचिव विश्वविद्यालय के संयुक्त खाते में 10 लाख रुपये कैपिटल फंड के रूप में जमा करवाएं जाने की शर्त अनुसार प्रशासन द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

विशेष निर्देश :-

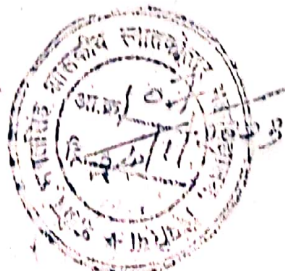
- आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं सचिव बी.सी.आई. नई दिल्ली सत्र 2023-24 एवं 2024-25 अनुमति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा अस्थाई संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
- वि.वि. संशोधित परिणियम 28 एवं बी.सी.आई. के नियमानुसार तीन माह के अन्दर कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक की नियमित नियुक्ति किया जाना अनिवार्य होगा।
- आगामी सत्र 2024-25 की संबद्धता की निरंतरता के लिये एम.पी. आनलाईन के माध्यम से नियमानुसार आवेदन करना होगा एवं विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05.8.2019 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.9.2019 के अनुमोदन परचाट 50% अधिभार सहित वि.वि. में ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश कमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची शीघ्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं आयुक्त म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियां तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख की होगी।

आदेशानुसार,

14/06/22
पृ0कमांक /अकादमी/संबद्धता/विधि 2022

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, महाविद्यालय सतपुरा भवड़ा भोपाल।
- सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कलम मदन भोपाल।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
- वेबसाइट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- विद्या कक्षा



कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 24-12-22

सहा-कुलसचिव, अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कार्यालय- होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) 462026

कमांक 822/अका/पीएच.डी/19

भोपाल, दिनांक 24.03.2019

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पिपरीया, होशंगाबाद म.प्र.

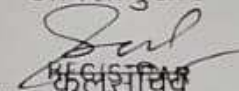
विषय:- शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरीया को वाणिज्य एवं वनस्पति शास्त्र विषय में शोध केन्द्र बनाए जाने संबंधी।

संदर्भ:- पत्र कमांक 2031/स्था/शा.म.पि/16 पिपरीया दिनांक-01/10/16

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक (दिनांक-03.11.18 पद कमांक-18/2/11) में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की बैठक 15.02.19 में विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक के निर्णयों की संपुष्टि एवं माननीय कुलपति जी के अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय (शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरीया) को वाणिज्य एवं वनस्पति शास्त्र विषय में शोध केन्द्र बनाया जाता है।

आदेशानुसार

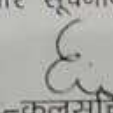

कुलसचिव
Barkatullah University,
Bhopal, (M.P.)
भोपाल, दिनांक 27.03.2019

पृ.कमांक 823/अका/पीएच.डी/19
प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय।
2. संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. अध्यक्ष अध्ययन मण्डल वाणिज्य विषय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
4. संकायाध्यक्ष जीवविज्ञान संकाय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
5. अध्यक्ष अध्ययन मण्डल वनस्पति शास्त्र विषय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. कुलपति जी के निज सहायक के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
7. कुलसचिव जी के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
8. निज नस्ती।

H.O.D.
Commerce
- Botany
- H.C.
- Web
28/3/19




कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
Asstt. Registrar (Academic)
Barkatullah Vishwavidyalaya,
BHOPAL